न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 20/2010 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :– 1. अमरसिंह पुत्र रामपत जाति अहीर साकिन गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2. उदयसिंह पुत्र रामपत जाति अहीर साकिन गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––– वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 अभयसिंह पुत्र रामसिंह जाति अहीर साकिन गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर

:–––– प्रतिवादीगण रेस्पो०

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 29.12.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो० सं० 1 :– श्री अजीत कुमार यादव

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 01.11.2021

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी,वहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 307/2007 अन्तर्गत धारा 88, 188, 189 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2009, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 15 रकवा 27 एयर वाके ग्राम बीघाणा तहसील वहरोड के 1/2 भाग के खातेदार वादीगण व 1/2 भाग के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 का पिता रामसिंह था । रामसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने 1/2 भाग की रिलीज डीड वादीगण के पक्ष में दिनांक 14.6.1990 को पंजीबद्ध करवा दी थी । कब्जा भी वादीगण को दे दिया था । रिलीज डीड के आधार पर हमारे पक्ष में इंतकाल दर्ज कराने के लिये दस्तावेज जब पटवारी को दिया तो उसने यह कहते हुये वापिस लौटा दिया कि इंतकाल तुम्हारे पक्ष में स्वीकार हो चुका है । हम आश्वस्त हो गये कि इंतकाल हमारे पक्ष में स्वीकार हो चुका है । परन्तु जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये आराजी की जमाबन्दी की नकल ली तो मालूम हुआ कि अभी तक मृतक रामसिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है । जबकि रिलीज डीड के आधार पर हमारा नाम दर्ज होना चाहिये । प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से हमारे पक्ष में इकबाल जवाब दावा भी पेश कर दिया गया था । इसके बावजूद भी हमारा वाद पत्र खारिज कर दिया गया । दस्तावेजी साक्ष्य से भी हमारा वाद पत्र साबित है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 29.12.2009 द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने अपील के तथ्यों से इन्कार करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । पक्षकारान द्वारा तहत अदालत में राजीनामा पेश किया गया है, जिसमें प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 01 अभयसिंह पुत्र रामसिंह ने निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 15 रकबा 27 एयर पर वादीगण का ही कब्जा है, जिनके पक्ष में रिलीज डीड सही की गई थी । इसलिये राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री कर दिया जावे । प्रतिवादी संख्या स01 अभयसिंह पुत्र रामसिंह ने इकबाल दावा पेश कर वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया है और वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण को अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया है ।

5 उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 01 ने वादीगण अपीलांटस के पक्ष में राजीनामा पेश कर वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । आदेश 23 नियम 3 सी0 पी0 सी0 में राजीनामा के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है कि अगर राजीनामा पक्षकारों द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से लिखित में पेश किया है और किसी विधि से बाधित नहीं है तो राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की जानी चाहिये । मौजूदा प्रकरण में राजीनामा पक्षकारों द्वारा लिखित में एवं उनके हस्ताक्षरित है और किसी विधि से बाधित होना भी सिद्ध नहीं है । साथ ही उक्त राजीनामा तहत अदालत द्वारा तस्दीक भी किया हुआ है और पक्षकारों की पहचान उनके वकीलों द्वारा भी की हुई है । ऐसी स्थिति में आदेश 23 नियम 3 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तहत अदालत को वाद पत्र डिक्री करना चाहिये था, परन्तु गौर नहीं किया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विभिन्न नजीरों यथा ए0 आई0 आर0 1981 एस0 सी0 पेज 2085 आदि में प्रतिपादित किया है कि स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य होता है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में प्रतिपादित किया गया है कि स्वीकार किये गये तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है । मौजूदा प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पो0 नम्बर 01 ने तहत अदालत में इकबाल दावा पेश कर वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है और वादीगण को वाद पत्र के अनुसार अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया है । ऐसी स्थिति में भी इकबाल दावा के अनुसार तहत अदालत द्वारा वाद पत्र को डिक्री किया जाना चाहिये था, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं प
राजस्व अपील अधिकारी, अ

6 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं उपरोक्त समस्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वादीगण अपीलांटरा की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2009 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांटस का वाद तहत अदालत में पेश किये गये राजीनामा व इकवाल दावा अनुसार इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 15 रकबा 27 एयर वाके ग्राम बीघाना तहसील वहरोड के 1/2 भाग का खातेदार वादीगण अपीलांटस को घोषित किया जाता है । उक्त 1/2 भाग पर से रामसिंह का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण अपीलांटस का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किया जावे ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 20/2010 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :– 1. अमरसिंह पुत्र रामपत जाति अहीर साकिन गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2. उदयसिंह पुत्र रामपत जाति अहीर साकिन गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––– वादीगण अपीलांटस

बनाम

1 अभयसिंह पुत्र रामसिंह जाति अहीर साकिन गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

2 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर

:–––– प्रतिवादीगण रेस्पो०

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 29.12.2009

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री गोविन्द राम यादव

2. वकील रेस्पो० सं० 1 :– श्री अजीत कुमार यादव

भू–प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पर्चा डिक्री दिनांक 01.11.2021

अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2009 निरस्त किये जाते हैं तथा वादीगण अपीलांटरा का वाद तहत अदालत में पेश किये गये राजीनामा व इकबाल दावा अनुसार इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 15 रकबा 27 एयर वाके ग्राम बीघाना तहसील बहरोड के 1/2 भाग का खातेदार वादीगण अपीलांटस को घोषित किया जाता है । उक्त 1/2 भाग पर से रामसिंह का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादीगण अपीलांटरा का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड हाल में दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किया जावे ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर